

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 22.02.2024

निर्णय उद्घोषित: 28.03.2024

वैवा.अ.(कु.न्या.) 87/2019 एवं सि.वि.आ. सं. 13356/2019,
सि.वि.आ. 407/2020, सि.वि.आ. 3144/2023, सि.वि.आ.
42129/2023, सि.वि.आ. 50290/2023, सि.वि.आ. 50354/2023,
सि.वि.आ. 50361/2023, सि.वि.आ. 50363/2023

संजय कुमार बरनवाल अपीलार्थी
द्वारा : श्री हरगोविंद झा, अधिवक्ता
संग अपीलार्थी।
बनाम

भावना कुमारी प्रत्यर्थी
द्वारा : श्री रजनीश रंजन तथा श्री
शिवांश श्रीवास्तव,
अधिवक्तागण ।

वैवा.अ.(कु.न्या.) 159/2019 एवं सि.वि.आ. सं. 27111/2019

भावना कुमारी अपीलार्थी
द्वारा : श्री रजनीश रंजन तथा श्री
शिवांश श्रीवास्तव, अधिवक्ता।
बनाम

संजय कुमार बरनवाल प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री हरगोविंद झा, अपीलार्थी
संग अधिवक्ता।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर
माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित बंसल

[भौतिक सुनवाई/हाइब्रिड सुनवाई (अनुरोध के अनुसार)]

न्या. अमित बंसल:

1. दोनों अपीलें एक ही आक्षेपित आदेश से उद्भूत हुई हैं।
2. वैवा.अ.(कु.न्या.) 87/2019, श्री संजय कुमार बरनवाल ('पति') द्वारा दायर किया गया है, जिसमें विद्वान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, द्वारका, नई दिल्ली ('कुटुम्ब न्यायालय') द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2019 को पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त/उपांतरित करने की मांग की गई है, जिसके तहत श्रीमती भावना कुमारी ('पत्नी') द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 ('एचएमए') की धारा 24 के तहत दायर आवेदन का निपटारा किया गया था, जिसमें पति को एचएमए की धारा 13(1)(क) के तहत पति द्वारा दायर विवाह विच्छेद याचिका के निपटारे तक, 66,000/- रुपये प्रति माह (पत्नी और दोनों बेटियों को 22,000/- रुपये प्रत्येक) की संचयी राशि वादकालीन भरण-पोषण के रूप में देने का निर्देश दिया गया था।

3. वैवा.अ.(कु.न्या.) 159/2019, पत्नी द्वारा दायर की गई है जिसमें अंतरिम भरण-पोषण को 66,000/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,25,000/- रुपये प्रतिमाह करने की मांग की गई है।
4. संक्षेप में, मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैं। पक्षकारों ने दिनांक 8 मार्च 2000 को हिंदू रीति-रिवाजों एवं विवाह-कर्म के अनुसार विवाह किया। इस विवाहबंधन से क्रमशः दिनांक 13 मार्च 2001 एवं दिनांक 15 अप्रैल 2006 को दो बच्चे पैदा हुए। मार्च 2018 में पक्षकारों के मध्य विवाद हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कई दौर की मुकदमेबाजी हुई।
5. वर्तमान याचिका पति द्वारा कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष एचएमए की धारा 13(1)(क) के तहत विवाह के विघटन की मांग करते हुए दायर की गई याचिका से उद्भूत हुई है। विवाह विच्छेद की याचिका के लंबित रहने के दौरान, पत्नी ने एचएमए की धारा 24 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें 1,25,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से अंतरिम भरण-पोषण की मांग की गई।
6. आक्षेपित आदेश के माध्यम से, कुटुम्ब न्यायालय ने पति की मासिक प्रयोज्य आय 1,10,000 रुपये प्रतिमाह आंकी तथा पति को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में पत्नी और दोनों बेटियों को 22,000 रुपये प्रतिमाह की दर से कुल 66,000 रुपये प्रत्येक को अदा करने का निर्देश दिया गया।

कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित आदेश का प्रभावी भाग नीचे दिया गया है:

" 18. याचिकाकर्ता के पास स्वयं के साथ-साथ अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के भरण-पोषण के अतिरिक्त कोई अन्य दायित्व नहीं है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की 1,10,000 रुपये की पूरी प्रयोज्य आय को 5 बराबर हिस्सों में विभाजित करना आवश्यक है। जिसमें से एक हिस्सा प्रत्यर्थी /पत्नी भावना कुमारी को, एक हिस्सा उनकी बेटी सुश्री संहिता कुमारी को, एक शेयर उनके बेटे मास्टर (एसआईसी) श्रेया सरगम को, एक हिस्सा याचिकाकर्ता को और एक अतिरिक्त शेयर याचिकाकर्ता को उसकी दिन-प्रतिदिन की जरूरतों और व्ययों के लिए दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता से वादकालीन भरण-पोषण हेतु प्रतिमाह 66,000 रुपये की कुल राशि प्राप्त करने का हकदार है।

19 उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ता को आवेदन दायर करने की तिथि से याचिका के निपटान तक प्रत्यर्थी को वादकालीन भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 66,000 रुपये की राशि अदा करने का निर्देश दिया जाता है।

याचिकाकर्ता को आज से तीन महीने की अवधि के भीतर भरण-पोषण की बकाया राशि का भुगतान करना होगा। याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी को किसी भी न्यायालय के आदेश के तहत भरण-पोषण के रूप में अदा की गई कोई भी राशि या अन्यथा बकाया के प्रति समायोजित की जाएगी। तदनुसार आवेदन का निपटान किया जाता है।"

7. कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का चुनौती देते हुए, दोनों ही पक्षकारों ने वर्तमान अपीलों के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

8. पति द्वारा दायर अपील में, पूर्ववर्ती न्यायपीठ ने दिनांक 9 मई, 2019 को एक विस्तृत आदेश पारित किया, जिसमें पति को बच्चों की स्कूल फीस सहित

पत्नी को 66,000 रुपये प्रति माह की राशि को अदा करने का निर्देश दिया गया और उसे 6 सप्ताह के भीतर कुटुम्ब न्यायालय द्वारा दिए गए भरण-पोषण की बकाया राशि को अदा करने का भी निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। हालांकि, मध्यस्थता सफल नहीं रही।

9. तत्पश्चात्, पति ने एक आवेदन, सि.वि.आ. 3144/2023, दायर किया, जिसमें परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर आक्षेपित आदेश को उपांतरित किए जाने का अनुरोध किया गया।

10. मोटे तौर पर, पति निम्नलिखित आधारों पर आक्षेपित आदेश में उपांतरण चाहता है:

- I. बड़ी बेटी वर्ष 2019 में बालिग हो गई है। उसने यूएसए में काम करना शुरू कर दिया है और अप्रैल 2020 से पर्याप्त मात्रा में कमा रही है। इसलिए, उसके संबंध में कोई भरण-पोषण राशि अदा करने की आवश्यकता नहीं है।
- II. पति जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में कार्यरत हैं, अगस्त 2021 से उसके वेतन में कटौती हुई है।
- III. पत्नी वैवाहिक घर में रह रही है जबकि पति अलग किराए के आवास में रह रहा है और समय के साथ किराया बढ़ गया है।
- IV. पति विभिन्न चिकित्सा रोगों एवं अवसाद से पीड़ित है

- V. पत्नी पति पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं अपना जीवन यापन करने में सक्षम है।
11. पत्नी की ओर से दायर उत्तर में इस प्रकार कहा गया है:
- I. बड़ी बेटी ने हाल ही में मई 2023 में अपनी 4 साल की डिग्री पूरी करने के बाद स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और उसके बाद ही कमाना शुरू किया है।
- II. पति द्वारा दायर वेतन पर्ची के अनुसार, दिसंबर 2018 में उनकी वार्षिक आय 23,14,281/- रुपये थी और नवंबर 2022 में यह बढ़कर 24,29,322/- रुपये हो गई है। इसलिए यह कहना गलत है कि उनका वेतन कम हो गया है।
- III. वैवाहिक घर के अतिरिक्त, जो पत्नी के कब्जे में है, पति के पास कई अन्य संपत्तियां भी हैं, जिनसे वह किराये की आय प्राप्त कर रहा है।
- IV. पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और घुटने के जोड़ में अपक्षयी परिवर्तन के कारण उसे घुटने की शल्य चिकित्सा की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त, छोटी बेटी को स्लिड कैपिटल फेमोरल एपिफिसिस होना पता चला, जिसके उपचार में पत्नी ने लगभग 1,31,390/- रुपये खर्च किए।
- V. छोटी बेटी बारहवीं कक्षा में पढ़ रही है और पत्नी अपने भाइयों से वित्तीय सहायता की मदद से छोटी बेटी की शिक्षा का खर्च उठा रही है।

12. हमने पक्षकारों के लिए अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर रखी सामग्री की जांच की है।
13. पत्नी की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता ने खुलकर स्वीकार किया कि यूएसए विश्वविद्यालय से 4 साल की डिग्री यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड साइबर सिक्योरिटी पूरी करने के बाद, बड़ी बेटी ने जुलाई 2023 से यूएसए में नौकरी हासिल कर ली है। इसलिए, जुलाई 2023 के बाद उसके प्रति कोई भरण-पोषण की आवश्यकता नहीं है।
14. जहां तक पति के इस कथन का प्रश्न है कि बड़ी बेटी ने अप्रैल 2020 से कमाना शुरू कर दिया था, यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि बड़ी बेटी ने मई 2023 में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। भले ही बड़ी बेटी ने स्नातक होने से पहले कुछ राशि अर्जित की हो, लेकिन यह उसके जीवन-यापन के खर्चों को पूरा करने के लिए केवल एक न्यूनतम राशि होगी। इसलिए, हम पति की ओर से की गई उपरोक्त प्रस्तुति को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।
15. इसके बाद, पति की ओर से आगे यह प्रतिविरोध किया गया है कि अगस्त 2021 से उसके वेतन में कमी देखी गई है।
16. इस न्यायालय के समक्ष अभिलेख में प्रस्तुत नवंबर 2022 के महीने की नवीनतम वेतन पर्ची के अनुसार, पति को 1,79,792/- रुपये का सकल मासिक वेतन मिल रहा है। इस राशि आकड़े में अन्य भत्तों के अतिरिक्त मकान किराया

भत्ते के रूप में 27,550/- रुपये शामिल हैं। उक्त राशि में से 32,799/- रुपये आयकर के रूप में काटे जाते हैं तथा 6,936/- रुपये, 5,780/- रुपये तथा 5,510/- रुपये क्रमशः भविष्य निधि, स्वैच्छिक भविष्य निधि तथा एनपीएस ('राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली') के रूप में काटे जाते हैं। पूर्वोक्त कटौतियों के पश्चात, पति का कुल मासिक वेतन 1,28,757/- रुपये है।

17. इसकी तुलना में, कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दिसंबर 2018 के महीने की वेतन पर्ची के अनुसार, पति को 1,84,938/- रुपये का सकल मासिक वेतन मिल रहा था, जो नवंबर 2022 में प्राप्त वेतन से बहुत अलग नहीं है। हालांकि, दिसंबर 2018 में पति को मिलने वाला कुल मासिक वेतन (यानी, 1,41,807/- रुपये) नवंबर 2022 के महीने के कुल मासिक वेतन (यानी, 1,28,757/- रुपये) से थोड़ा अधिक था, क्योंकि दिसंबर 2018 में बचत के लिए कटौती की गई कुल राशि कम थी। अभिलेख से पता चलता है कि पति भविष्य निधि, स्वैच्छिक भविष्य निधि और एनपीएस में योगदान करके अपना भविष्य सुरक्षित कर रहा है। इसके विपरीत, पत्नी के पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, जैसा कि कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में अभिलिखित है।

18. इसलिए, पति की यह प्रस्तुति कि वह अब आर्थिक रूप से उस समय की तुलना में अधिक दयनीय स्थिति में है जब आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, अनुचित है।
19. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकारों की बड़ी बेटी ने जुलाई 2023 से कमाना शुरू कर दिया है, हमारा विचार है कि पति द्वारा देय अंतरिम भरण-पोषण राशि को जुलाई 2023 से 66,000/- रुपये से घटाकर 44,000/- रुपये प्रतिमाह कर दिया जाना चाहिए। तदनुसार आदेश दिया जाता है।
20. पूर्वोक्त उपांतरण के अधीन, आक्षेपित आदेश संधार्य है।
21. तदनुसार, लंबित आवेदनों के साथ दोनों अपीलों का निपटान किया जाता है।
22. भरण-पोषण का बकाया, यदि कोई हो, तो पति द्वारा इस निर्णय की तिथि से चार सप्ताह के भीतर अदा किया जाए।
23. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पति द्वारा 2018 में ही विवाह विच्छेद का आवेदन दायर किया गया था, कुटुम्ब न्यायालय इसे शीघ्र निर्णीत करने का प्रयास करें।

अमित बंसल
(न्यायाधीश)

राजीव शकधर
(न्यायाधीश)

28 मार्च, 2024

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दोबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।